राज एक्सप्रेस, भोपाल
21 OCT 2010

बेहतर है मध्यप्रदेश की नई उद्योग-नीति

प्रदेश की नई उद्योग-नीति उम्दा है। इसमें खास बात यह भी है कि उद्योगों को पचास फीसदी रोजगार स्थानीय नागरिकों को देने ही होंगे।

मंगलवार को सरकार ने प्रदेश की नई उद्योग-नीति का खाका खींच दिया। दूरबीन लगाकर छेद ढूंढे जाएं, तो वे मिलेंगे ही, पर यदि संपूर्णता के साथ देखा जाए, तो नई उद्योग-नीति बेहतर ही है। आलोचना करते समय कहा जा सकता है कि इस नीति पर पूंजीवाद का प्रभाव साफ-साफ देखा जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों को दोहरे करों से बचाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की तर्ज पर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन विकसित करने का जो प्रावधान इस नई उद्योग-नीति में किया गया है, वह पूंजीवाद के संरक्षण के सिवाय और क्या है? यह सवाल गलत भी नहीं है, पर गलत यह भी नहीं है कि जब पूरा देश पिछले दो दशकों से बाजारवाद की राह पर चल ही रहा है, तो मध्यप्रदेश भी पीछे क्यों रहे? अलबत्ता, पूंजीवाद के मानवीकरण की गुंजाइश है और प्रदेश ने अपनी नई उद्योग-नीति में इसका ख्याल भी रखा है। मसलन-प्रावधान किया गया है कि उद्योग उपजाऊ जमीन पर नहीं, बल्कि पड़त-भूमि पर लगाने के ही प्रयास किए जाएंगे। उद्योगों को अपनी जमीन का दस फीसदी हिस्सा मजदूरों के आवासों के लिए आरक्षित करना ही होगा, आदि-आदि।

यह और इस जैसे अन्य प्रावधान पूंजीवाद का मानवीकरण ही हैं। उद्योग-नीति में खास बात यह भी है कि औद्योगिक इकाइयों को पचास फीसदी रोजगार स्थानीय नागरिकों को देने ही होंगे। हां, उद्योग यदि चाहें, तो वे स्थानीय नागरिकों को 90 फीसदी तक रोजगार दे सकते हैं। इसके एवज में वे सरकार द्वारा मेगा प्रोजेक्ट के तहत मिलने वाले लाभों को पांच की जगह सात वर्षों तक पाते रहेंगे। यानी, उद्योगों को संकेत दे दिया गया है कि प्रदेश के नागरिकों को जितना रोजगार दोगे, सरकार की ओर से लाभ भी उतने ही मिलेंगे। अतः निचोड़ यही है कि इसका विरोध न किया जाए, बल्कि उस पर प्रभावी अमल की कामना ही की जाए।